IDBI BANK

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लि. की नौवीं वार्षिक महासभा बुधवार, दिनांक 04 सितंबर 2013 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई - 400 018 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2013 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा उन पर निदेशकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
2. वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश घोषित करना;
3. श्री एस रवि को पुन:नियुक्त करना, जो क्रमावर्तन से निवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण क्रमावर्तन से निवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं,
4. श्री निनाद कर्पे को पुन:नियुक्त करना, जो क्रमावर्तन से निवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण क्रमावर्तन से निवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं,
5. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निश्चित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अन्तर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश के अनुसरण में (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18 जून 2013 के अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स खीमजी कुंवरजी एंड कं., सनदी लेखाकार, मुंबई (आईसीएआई पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू) तथा मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कं. सनदी लेखाकार, पुणे (आईसीएआई पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) की पुनर्नियुक्ति और (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 228 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18 जून 2013 के अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स अशोक कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, दुबई की नियुक्ति, ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर जो बैंक का निदेशक मंडल उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे, हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है.''

विशेष कारोबार

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ या के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंक के संस्था अंतर्नियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा/या किसी अन्य सम्बद्ध कानून या दिशानिर्देश के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक **(रिज़र्व बैंक)**, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई है, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् ''**बोर्ड**'' के रूप में निर्दिष्ट, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे गठित की जानेवाली कोई भी समिति शामिल होगी) के लिए भारत में प्रस्ताव दस्तावेज/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से कुल अधिकतम ₹ 4,000/- करोड़ की राशि (प्रीमियम राशि सहित) के ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या जिसे ₹ 13,32,77,25,170/- की वर्तमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी में इस प्रकार जोड़ा जाए कि केन्द्र सरकार की बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी में धारिता किसी भी समय 51% प्रतिशत से कम न हो, जोकि बाजार मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **(''एनआरआई'')**, कंपनियों (निजी या सार्वजनिक), निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, पात्र संस्थागत क्रेताओं **(''क्यू आई बी'')** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **(एफआईआई)**, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों को बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से प्रस्तावित करने, जारी करने तथा आबंटित करने (पक्के आबंटन तथा/या निर्गम के उस भाग के प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून के द्वारा अनुमत किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान सहित)के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और / या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा/ कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन कंपनी अधिनियम, 1956, बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों तथा रिजर्व बैंक, सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण, जो भी लागू हो, द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन और ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसे निबंधन व शर्तों पर किया जाएगा जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल को यह प्राधिकार होगा कि वह इस तरह से मूल्य या मूल्यों को निर्धारित कर सके और जहां जरूरी हो, वहां अग्रणी प्रबंधकों तथा/ या हामीदारों और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसी शर्तों एवं निबधनों पर जो बोर्ड के पूर्ण विवेकानुसार हों, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, अन्य विनियमों और किसी या अन्य सभी लागू कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, चाहे वे निवेशक वर्तमान में बैंक के सदस्य हों या न हों, ऐसा मूल्य तय कर सकेगा जो कि

सेबी(आईसीडीआर) विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारियों (इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से ''उपयुक्त प्राधिकारी'' के रूप में उल्लिखित) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरी (इसमें इसके पश्चात् ''अपेक्षित अनुमोदन'' के रूप में उल्लिखित) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक श्रृंखलाओं में, समय-समय पर ईक्विटी शेयर इस प्रकार जारी, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में, जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, नियोजन दस्तावेज और /या अन्य किसी दस्तावेजों / प्रलेखों / परिपत्रों /ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और ऐसे मूल्य, शर्तों और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 या तत्समय लागू कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, बशर्ते कि इस प्रकार जारी ईक्विटी शेयरों के प्रीमियम सहित मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के संगत प्रावधानों के अनुसार नियत मूल्य से कम न हों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जैसाकि सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII में परिभाषित है) की तुलना में केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 51% प्रतिशत से कम धारित न करता हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसरण में, पात्र संस्थागत नियोजन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अर्थ के भीतर केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** क्यूआईपी निर्गम के मामले में, प्रतिभूतियों का आधार मूल्य तय करने की संगत तारीख सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार होगी तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत की जाएगी.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** क्यूआईपी के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, पूर्ण विवेकानुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित ''आधार मूल्य'' से अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर या ऐसी छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, ईक्विटी शेयर जारी कर सकता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गम, आबंटन और सूचीबद्धता को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी देते/ प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक/ सेबी/ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति व अधिकार बैंक के निदेशक मंडल को होगा.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए ईक्विटी शेयरों, यदि कोई हों, का निर्गम तथा आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन प्रयोज्य किंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** जारी किये जाने वाले उक्त नए ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो,के लिए पात्र होंगे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ईक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना सार्वजनिक निर्गम की शर्तों तथा निवेशकों की ऐसी श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जानेवाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, का निर्धारण करने तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीज़ें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने के लिए, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझें तथा सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, भिन्नता, परिवर्तनों, विलोपन, संवर्धन को स्वीकार और लागू करने, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और कि इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अग्रणी प्रबंधक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों) तथा/ या ऐसी सभी एजेंसियों के साथ, जो इस प्रकार के ईक्विटी के निर्गम में शामिल या उससे संबंधित हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं के लिए करार करने और उसे निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी संबंधित व्यवस्थाएं, करार ज्ञापन, दस्तावेज़ आदि निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम के स्वरूप और शर्तों, साथ ही निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, ईक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम या छूट, रिकॉर्ड तारीख या लेखा बंदी की तारीख नियत करना तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत में और/

अथवा विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो विधि द्वारा अनुमत हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को शेयरधारकों या प्राधिकरणों से कोई अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीज़ें करने, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व अभीष्ट समझें और शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और आगे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीज़ें करने और सभी दस्तावेज तथा लिखतों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, अभीष्ट और अत्यावश्यक समझें, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को अपने सभी या किसी भी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) या बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

7. बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116 (1) (सी) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार की 11 जनवरी 2013 की अधिसूचना एफ.सं.7/2/2012-बीओ.1 द्वारा श्री सुनील सोनी के स्थान पर सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के 11 जनवरी 2013 से भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामांकन को नोट करना.

8. बैंक के संस्था अंतर्नियम 116(1)(ए) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार की 5 जुलाई 2013 की अधिसूचना एफ सं.4/4/2012-बीओ.1 के जरिए श्री एम. एस. राघवन की 5 जुलाई 2013 से 30.06.2015 अर्थात् उनकी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने की तारीख तक की अवधि या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को नोट करना.

बोर्ड के आदेश से

(एम. एस. राघवन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.

दिनांक : 8 जुलाई 2013

टिप्पणियां

1. मदों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2)के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों सहित)के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किए गए हैं.

2. महासभा में भाग लेने और उसमें मत देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता/ सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को केवल मतदान की स्थिति में मत देने का अधिकार होगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब:
   (क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी कॉमन सील, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.
   (ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

3. सदस्यों /प्रॉक्सियों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरा हुआ पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. नियम 87 के प्रावधान के अनुसार वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम पाँच सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. बैंक के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां 31 अगस्त 2013 से 04 सितंबर 2013 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रखी जाएंगी.

6. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., प्लॉट सं. 17-24, विठ्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500081 [टेलीफोन नं. (040) 44655000, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि. के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553336 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेल idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

7. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

8. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

****

सूचना का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. **सूचना की मद संख्या 2**

बैंक के निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल 2013 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बैंक की पूर्णत: प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी पर ₹ 3.50 प्रति ईक्विटी शेयर की दर से लाभांश की सिफारिश की है.

यदि वार्षिक महासभा में लाभांश घोषित किया जाता है तो ₹ 3.50 प्रति ईक्विटी शेयर की दर से लाभांश 1 अक्तूबर 2013 की भुगतान तारीख को उसकी घोषणा से 30 दिन के भीतर भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले उन शेयरधारकों को अदा कर दिया जाएगा जिनके नाम 30 अगस्त 2013 को या इसके पूर्व बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अंतरण के लिए प्रस्तुत सभी वैध शेयर अंतरणों को लागू करने के बाद बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वालों को नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत ब्योरों के आधार पर 30 अगस्त 2013 को कारोबार की समाप्ति पर शेयरों के हिताधिकारी स्वामियों को लाभांश देय होगा.

2. **सूचना की मद संख्या 3**

निर्वाचित क्रमावर्ती निदेशक श्री एस. रवि आगामी वार्षिक महासभा में क्रमावर्तन से निवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं को पुन:नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किया है. यह प्रस्ताव है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 256 और बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116 (1) (ई) के अनुसार श्री एस. रवि को क्रमावर्तन से निवृत्ति आधार पर बैंक के निदेशक के रूप में पुन:नियुक्त किया जाए. श्री एस. रवि के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2)(ए)के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक योग्यता है.

सदस्य श्री एस. रवि की बैंक के निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति करने पर विचार करें. श्री एस. रवि की पुन:नियुक्ति में स्वयं श्री एस. रवि के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई सरोकार या हित नहीं है. श्री एस. रवि बैंक के बोर्ड के किसी अन्य निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं हैं.

श्री एस. रवि का परिचय निम्नानुसार है:

श्री एस. रवि बीएससी, एम कॉम, एफसीए हैं तथा वे सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएचडी भी कर रहे हैं. श्री एस रवि ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के बोर्ड में अपनी निदेशकता के चलते बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है. सरकारी क्षेत्र के बैंकों यथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉपोरेशन बैंक, देना बैंक, यूको बैंक तथा पंजाब व सिंध बैंक के निदेशक के अपने कार्यकाल के दौरान वे लेखापरीक्षा समिति, रणनीतिक पुनरुत्थान समिति तथा जोखिम प्रबंध समिति जैसी विभिन्न समितियों में भी रहे. उन्हें वित्तीय क्षेत्र अर्थात् म्यूचुअल फंड, होम फाइनेंस, उद्यम पूंजी निधि तथा पूंजी बाजार कार्यकलापों का भी अनुभव है. इस समय वे महिंद्रा उगिने स्टील कंपनी लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि., यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि., एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., रेलिगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि., एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि., मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तथा एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज़ सर्विसेज़ प्रा. लि. के बोर्ड में निदेशक हैं. श्री रवि के पास आईडीबीआई बैंक लि. के 200 शेयर हैं.

3. **सूचना की मद सं.4**

निर्वाचित क्रमावर्ती निदेशक श्री निनाद कर्पे आगामी वार्षिक महासभा में क्रमावर्तन से निवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं को पुन:नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किया है. यह प्रस्ताव है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 256 और बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116 (1) (ई) के अनुसार श्री निनाद कर्पे को क्रमावर्तन से निवृत्ति आधार पर बैंक के निदेशक के रूप में पुन:नियुक्त किया जाए. श्री निनाद कर्पे के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2)(ए)के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक योग्यता है.

सदस्य श्री निनाद कर्पे की बैंक के निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति करने पर विचार करें. श्री निनाद कर्पे की पुन:नियुक्ति में स्वयं श्री निनाद कर्पे के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई सरोकार या हित नहीं है. श्री निनाद कर्पे बैंक के बोर्ड के किसी अन्य निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं हैं.

श्री निनाद कर्पे का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री निनाद कर्पे एप्टेक लि. के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं. वे बी. कॉम, एलएलबी(सा) तथा एफसीए हैं. उन्होंने बड़े ही आक्रामक रूप से एप्टेक लि. को विश्व स्तर पर शिक्षण समाधानों के एक वास्तविक वैश्विक प्रदाता की हैसियत दिलाई है. एप्टेक चीन, वियतनाम, नाइजीरिया, रूस तथा अन्य उभरते बाजारों में अपने क्षेत्र में अग्रणी है. एप्टेक लि. से पूर्व वे सीए इंडिया के प्रबंध निदेशक के पद पर थे तथा उनके पास कंपनी की टैक्नोलॉजी की पहुंच को विस्तार देने और भारत की अग्रणी आईटी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने का उत्तरदायित्व था. उन्होंने अपना सीए पूरा करने के बाद एक स्वतंत्र परामर्शदात्री फर्म भी खोली थी जो कि विदेशी कंपनियों तथा अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने में सहायता देने का विशेषीकृत कार्य करती है. इस अवधि के दौरान उन्होंने कराधान पर पुस्तकें भी लिखीं तथा भारत में विदेशी निवेश और रणनीति विषय पर विभिन्न गोष्ठियों तथा कार्यक्रमों में व्याख्यान भी दिए. वे एच आर कॉलेज में अंशकालिक लेक्चरर तथा जमनालाल बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मुंबई में अतिथि लेक्चरर भी थे. वे बीएनपी परिबास असेट मैनेजमेंट इंडिया प्रा.लि., सविता ऑयल टैक्नोलॉजिज़ लि., माया एंटरटेंमेंट लि. तथा इंडिया एसएमई असेट रिकन्स्ट्रक्शन कं लि. के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं.

4. **सूचना की मद सं. 5**

बैंक के संस्था अन्तर्नियम के नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार नियुक्त किए गए एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224ए के तहत शेयरधारकों की महासभा में विशेष संकल्प पारित करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन

से नियुक्त किया गया हो. मेसर्स खीमजी कुंवरजी एंड कं., सनदी लेखाकार, मुंबई (आईसीएआई रजि.नं. 105146W) और मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कं., सनदी लेखाकार, पुणे (आईसीएआई रजि.नं.100515W) वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किये गये थे और मेसर्स संगानी एंड कं. को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 228 के निबंधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में पुन:नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक नौवीं वार्षिक महासभा की कार्यवाही पूरी होने तक बने रहेंगे. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 जून 2013 के अनुमोदन के अनुसार, बैंक के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224ए के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बैंक संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स खीमजी कुंवरजी एंड कं. तथा मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कं., सनदी लेखाकार को पुन: नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है. इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 जून 2013 के अनुमोदन के अनुसार बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 228 के निबंधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स अशोक कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, दुबई को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव करता है. उपर्युक्त लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत किया जाएगा. तद्नुसार, वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 5 में निहित विशेष संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित है.

5. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

(i) बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी ₹ 13,32,77,25,170/- है जिसमें प्रवर्तकों की शेयरधारिता 71.72% तथा जनता की शेयरधारिता 28.28% है. समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक को टियर I पूंजी को बनाए रखने की आवश्यकता है. बैंक की चालू विस्तार योजनाओं, बेसल II मानदंडों के कार्यान्वयन और प्रतिगामी पूंजी प्रभार को देखते हुए पूंजी को बढाने की आवश्यकता है ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और भी मजबूत बनाया जा सके. क्यूआईपी मार्ग आदि के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 6 सितंबर 2012 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए अर्थात् 5 सितंबर 2013 तक वैध है.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा. तथापि, केन्द्र सरकार की बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारिता किसी भी समय इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी.

(iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए)के तहत विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए प्रस्तावित है. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) और सूचीबद्धता करार की धारा 23 की उप-धारा (ए)के तहत यह प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा दुबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को उसे आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार से इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम तथा निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी आदि के जरिए ईक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है. अधिमान निर्गम के मामले में (i) शेयर प्रवर्तक, (भारत सरकार) तथा/या सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अधीन अनुमत अन्य क्यूआईबी, यदि कोई हैं, को जारी किए जाएंगे. (ii) अधिमान निर्गम के मूल्य निर्धारण के लिए संगत तारीख इस वार्षिक महासभा की तारीख से 30 दिन पूर्व अर्थात् 05 अगस्त, 2013 होगी; (iii) निर्गम के मूल्य की गणना 05 अगस्त, 2013 की संगत तारीख के आधार पर सेबी (आईसीडीआर) विनियम के खंड 76 के अनुसार की जाएगी, (iv) अधिमान निर्गम से पूर्व तथा बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप ₹ 13,32,77,25,170/- की वर्तमान प्रदत्त पूंजी और इस संकल्प के निबंधनों के अनुसार बैंक द्वारा आबंटित कुल ₹ 4000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक की राशि के लिए आबंटित शेयरों की वास्तविक संख्या होगी.

(v) अधिमान निर्गम का कार्य इस संकल्प से 15 दिनों के भीतर या अधिमान निर्गम के अभिदान हेतु भारत सरकार के अनुमोदन या किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक अनुमोदन से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.

(vi) लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र बोर्ड की उस बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें इस संकल्प के प्राधिकार के अधीन अधिमान निर्गम का अनुमोदन किया जाना है. इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vii) यह संकल्प सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में परिभाषित रूप में पात्र संस्थागत क्रेताओं के पास पात्र संस्थागत नियोजन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देता है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से बिना नया अनुमोदन प्राप्त किए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(viii) क्यूआईपी निर्गम के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि ''संगत तारीख'' से पहले के दो सप्ताहों में स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के उद्धृत मूल्यों के साप्ताहिक न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के औसत बंद मूल्य से कम न हो. बोर्ड सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसे अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार ईक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(ix) ''संगत तारीख'' से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम लाने का निर्णय ले.

(x) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक सीमित रहेगी.

(xi) ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अत: जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009, कंपनी अधिनियम, 1956, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) अत: उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस प्रयोजन के लिए बैंक को शेयरधारकों से एक विशेष संकल्प के जरिए सहमति लेनी आवश्यक है. अत: उपरोक्त प्रस्ताव पर शेयरधारकों की सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है. निदेशक मंडल सूचना में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा (यदि कोई हो) के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त संकल्प (पों) में कोई हित या संबंध नहीं है.

6. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 11 जनवरी 2013 की अपनी अधिसूचना एफ. सं.7/2/2012-बीओ.1 के जरिए सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116 (1) (सी) के अधीन 11 जनवरी 2013 से अगले आदेश तक श्री सुनील सोनी के स्थान पर आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नामांकन को नोट करें. सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं हैं.

सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच की अधिकारी हैं. 18 सितंबर 1957 को जन्मी सुश्री श्रीवास्तव भूगोल में स्नातकोत्तर हैं. इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय आयोजना एवं आर्थिक वृद्धि में एम.फिल की उपाधि हासिल की है. वे उप सचिव (ऊर्जा विभाग), मप्र; अपर सचिव (वित्त), मप्र; कार्यपालक निदेशक (खान एवं खनिज), मप्र; प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), मप्र; अध्यक्ष (शिक्षा विभाग), मप्र ; केन्द्र सरकार में निदेशक (वित्त एवं कंपनी मामले), मुख्य सतर्कता अधिकारी (रेलवे), संयुक्त सचिव (राजस्व) और संयुक्त सचिव (गृह एवं न्याय) सहित मध्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर भी रही हैं. वे भारतीय साधारण बीमा निगम और आईडीएफसी लि. के बोर्ड में सरकारी निदेशक हैं.

7. सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 5 जुलाई 2013 की अधिसूचना एफ सं. 4/4/2012-बीओ.1 के जरिए श्री एम. एस. राघवन को 5 जुलाई 2013 से 30.06.2015 अर्थात उनकी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने की तारीख तक की अवधि या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति को नोट करें. श्री एम. एस. राघवन बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक से किसी भी रूप में सम्बद्ध नहीं हैं.

श्री एम. एस. राघवन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

8 जून 1955 को जन्मे श्री एम. एस. राघवन विज्ञान में स्नातक और प्रबंधन तथा वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं. उन्होंने 11 अक्तूबर 1976 को इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की और आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व वे बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदापित थे.

श्री राघवन बैंक के पदानुक्रम में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. आईओबी में अपने 36 वर्ष के कार्यकाल में श्री राघवन ऋण, परिचालन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. श्री राघवन को मानव संसाधन प्रबंध, जोखिम प्रबंध, कॉरपोरेट ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुपालन में व्यावसायिक दक्षता हासिल है. इंडियन ओवरसीज़ बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के महा प्रबंधक के रूप में उनके सुदीर्घ एवं उल्लेखनीय कार्यकाल के दौरान बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान कार्यान्वित किया.

आईबीए और आईडीआरबीटी ने बैंकिंग जगत में उनके विशद् एवं विविध अनुभव का लाभ उठाने के लिए अपने संगठनों की विभिन्न समितियों में उन्हें नामित किया है. वर्तमान में श्री राघवन निम्न समितियों के सदस्य हैं:

(क) वित्तीय सेवाएं विभाग के तहत आईबीए की आदर्श ई-अभिशासन योजना के कार्यदल में;

(ख) वर्ष 2012-13 के लिए भुगतान प्रणाली व बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर आईबीए की समिति में;

(ग) आईडीआरबीटी वित्तीय सेवा प्रौद्योगिकी सहायता संघ के कोर ग्रुप में;

(घ) आईडीआरबीटी भारतीय बैंक प्रौद्योगिकी सहायता संघ के कार्यपालक बोर्ड में.

बोर्ड के आदेश से

(एम. एस. राघवन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.

दिनांक : 8 जुलाई 2013

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 9th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Wednesday, September 04, 2013 at 3.30 p.m. at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai – 400 018 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2013 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date together with the Reports of Directors and Auditors thereon;

2. To declare Dividend for the year 2012-13;

3. To reappoint Shri S. Ravi who retires by rotation and, being eligible, offers himself for reappointment as Director liable to retire by rotation;

4. To reappoint Shri Ninad Karpe, who retires by rotation and, being eligible, offers himself for reappointment, as Director liable to retire by rotation;

5. To appoint auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:-

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 224A and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other Law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the approval be and is hereby accorded to (i) the re-appointment of M/s. Khimji Kunverji & Co., Chartered Accountants, Mumbai (ICAI Regn. No. 105146W) and M/s G. D. Apte & Co., Chartered Accountants, Pune (ICAI Regn. No. 100515W) as Joint Statutory Auditors of the Bank for the Financial Year 2013-14 in terms of Reserve Bank of India (RBI)'s approval dated June 18, 2013 and (ii) the appointment of M/s. Ashok Kapur & Associates, Chartered Accountants, Dubai as Branch Statutory Auditors for IDBI Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2013-14 in terms of Section 228 of the Companies Act, 1956 and in terms of RBI's approval dated June 18, 2013, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments."

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 81(1A) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956, Articles of Association of the Bank, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and/ or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called '**the Board**' which shall be deemed to include any Committee, which the Board may have constituted or may hereafter constitute to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating to not more than ₹ 4,000 crore (inclusive of premium amount) to be added to the existing paid-up equity share capital of ₹ 13,32,77,25,170/- in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

   "RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, preferential issue, qualified institutional placement and/ or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Companies Act, 1956, the Banking Regulation Act, 1949, the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times, in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

   "RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and/ or underwriters and/ or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations."

   "RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant Stock Exchanges, the provisions of the Companies Act, 1956, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer

or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/ or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/ or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009), pursuant to a Qualified Institutional Placement, as provided for under Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, through a placement document and/ or such other documents/ writings/ circulars/ memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, or other provisions of the law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived at in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, and shall be decided by the Board of Directors of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, in terms of the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI/ RBI/ SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/ or other eligible foreign investors be subject to the approval of RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999, as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board, in its absolute discretion, deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in their absolute discretion, deem necessary, proper or desirable and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/ or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/ or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise with regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable

or expedient as it may, in its absolute discretion, deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorities to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred, to the Chairman and Managing Director or to the Deputy Managing Director or Executive Director(s) or any other Senior Executive of the Bank, to give effect to the aforesaid Resolutions."

7. To take note of the nomination of Ms. Snehlata Shrivastava, Additional Secretary, Department of Financial Services, Govt. of India as Government Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Shri Sunil Soni w.e.f. January 11, 2013 until further orders by Govt. of India vide Notification F.No.7/2/2012-BO.1 dated January 11, 2013, in terms of Article 116(1)(c) of the Articles of Association of the Bank.

8. To take note of appointment of Shri M.S. Raghavan as Chairman and Managing Director of IDBI Bank Ltd. w.e.f. July 05, 2013 for a period upto 30.06.2015 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders by Govt. of India vide Notification F.No.4/4/2012-BO.1 dated July 5, 2013, in terms of Article 116(1)(a) of the Articles of Association of the Bank.

By Order of the Board

(M. S. Raghavan)
Chairman & Managing Director

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

Dated: July 08, 2013

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 173(2) of the Companies Act, 1956) are annexed herewith.
2. A member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/ her proxy to attend and vote instead of himself/ herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote only upon a poll. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:
   (a) it is signed by the member or by his/ her attorney duly authorized in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/ her attorney duly authorized in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorized in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/ her name, if his/ her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.
   (b) it is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that Power of Attorney certified by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
3. Members/ Proxies/ Authorized Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.
4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Article 87, is at least five members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present at the meeting at the commencement of business.
5. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from August 31, 2013 to September 04, 2013 (both days inclusive).
6. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Plot No.17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081 [Tel. No. (040) 44655000, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No.(022) 66552779, 66553062, 66553336, Fax No. (022) 22182352, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.
7. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11.00 a.m. and 1.00 p.m.
8. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

******

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of Items of the Notice

1. Item No. 2 of the Notice

The Board of Directors have, at their meeting held on April 25, 2013, recommended Dividend for the FY 2012-13 @ ₹ 3.50 per equity share on the fully paid up equity share capital of the Bank.

If declared at the Annual General Meeting, the Dividend, i.e., @ ₹ 3.50 per equity share, will be paid within 30 days of declaration thereof on the payment date of October 01, 2013 to those shareholders whose names stand on the Register of Members of the Bank after giving effect to all valid share transfers lodged with the Registrar & Share Transfer Agents of the Bank on or before August 30, 2013, in respect of shares held in physical form. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be payable to the beneficial owners of shares as at the closing hours of August 30, 2013 as per the details furnished by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for this purpose.

2. Item No.3 of the Notice

Shri S. Ravi, an elected rotational Director, is retiring by rotation at the ensuing AGM and, being eligible, he has offered himself for reappointment. It is proposed to reappoint Shri S. Ravi in terms of Section 256 of the Companies Act, 1956 and Article 116(1)(e) of the Articles of Association of the Bank as a Director liable to retire by rotation. Shri S. Ravi possesses the requisite qualification as required under Section 10A(2)(a) of the B. R. Act, 1949.

Members may consider reappointing Shri S. Ravi as Director of the Bank. No Director of the Bank, other than Shri S. Ravi himself, whether directly or indirectly, is concerned or interested in his reappointment. Shri S. Ravi is not, in any way, related to any other Director on the Board of the Bank.

Shri S Ravi's resume is as under:

Shri S. Ravi is B.Sc, M.Com, FCA and is also pursuing Ph.D from the Centre of Management Studies, Jamia Millia Islamia University, New Delhi. Shri Ravi has garnered wide exposure in the Banking Sector due to his Directorship on the Boards of various Public Sector Banks. During his tenure as Director of PSU Banks, viz., Union Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, UCO Bank and Punjab & Sind Bank, he was also on various committees such as Audit Committee, Strategic Revival Committee and Risk Management Committee. He also has experience in the financial sector, viz., Mutual Funds, Home Finance, Venture Capital Fund and Capital Market Activities. He is presently on the Board of Mahindra Ugine Steel Company Ltd., IDBI Capital Market Services Ltd., UTI Trustee Company Pvt. Ltd., LIC Housing Finance Ltd., Religare Housing Development Finance Corporation Ltd., Bharat Heavy Electricals Ltd., Canbank Venture Capital Fund Ltd., SME Rating Agency of India Ltd., Management Development Institute and SBI-SG Global Securities Services Pvt. Ltd. Shri Ravi holds 200 shares of IDBI Bank Ltd.

3. Item No. 4 of the Notice

Shri Ninad Karpe, an elected rotational Director, is retiring by rotation at the ensuing AGM and, being eligible, he has offered himself for reappointment. It is proposed to reappoint Shri Ninad Karpe in terms of Section 256 of the Companies Act, 1956 and Article 116(1)(e) of the Articles of Association of the Bank as a director liable to retire by rotation. Shri Ninad Karpe possesses the requisite qualification as required under section 10A(2)(a) of the B. R. Act, 1949.

Members may consider reappointing Shri Ninad Karpe as Director of the Bank. No Director of the Bank, other than Shri Ninad Karpe himself, whether directly or indirectly, is concerned or interested in his reappointment. Shri Ninad Karpe is not, in any way, related to any other Director on the Board of the Bank.

Shri Ninad Karpe's resume is as under:

Shri Ninad Karpe is Managing Director & CEO of Aptech Ltd. He is B.Com, LLB (Gen.) and FCA. He has aggressively pursued to position Aptech Ltd. on the world stage as a truly global provider of learning solutions. Aptech is a leader in its space in China, Vietnam, Nigeria, Russia and other emerging markets. Prior to Aptech Ltd. he held the position of MD in CA India and was responsible for extending the company's technology reach and building strategic partnerships with leading Indian IT players. He also started an Independent Consulting firm after completing his CA and took on the specialized task of helping foreign companies and non-resident Indians to invest in India. He authored books on Taxation during this period and also spoke at various seminars and events on the topic of Foreign Investment and Strategy in India. He was also part-time lecturer at H. R College and Guest lecturer at Jamnalal Bajaj College of Management Studies, Mumbai. He is on the Board of BNP PARIBAS Asset Management India Pvt. Ltd., Savita Oil Technologies Ltd., Maya Entertainment Ltd., India SME Asset Reconstruction Co. Ltd. as Independent Director.

4. Item No. 5 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, who may be appointed by the Bank with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949, in the General Meeting of the shareholders by passing Special Resolution under Section 224A of the Companies Act, 1956. M/s. Khimji Kunverji & Co., Chartered Accountants, Mumbai (ICAI Regn. No.105146W) & M/s. G. D. Apte & Co., Chartered Accountants, Pune (ICAI Regn. No.100515W) were appointed as Joint Statutory Auditors of the Bank for the FY 2012-13 and M/s. Sangani & Co. was re-apppointed as Branch Statutory Auditors for DIFC, Dubai Branch for the FY 2012-13 in terms of Section 228 of the Companies Act, 1956. These Auditors will hold office till the conclusion of the 9th AGM. In terms of the RBI's approval dated June 18, 2013, the Bank proposes to re-appoint M/s.Khimji Kunverji & Co. and M/s.G. D. Apte & Co., Chartered Accountants as Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2013-14 under section 224A of the Companies